बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 14540 पटना, दिनांक 12/4/13

ग्रा0वी0-5/इं0आ0यो0(वि0अभि0)-102-14/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अत्यधिक अवशेष रहने के कारण माह अप्रैल-मई, 2013 में राशि व्यय करने हेतु विशेष अभियान चलाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास योजना की प्रगति की समीक्षा दक्षिण बिहार के जिलों के साथ दिनांक-05.04.2013 को की गयी । राज्य भर से प्राप्त सूचना के आधार पर विदित होता है कि कई जिलों में दिनांक-01.04.2013 को अत्यधिक अवशेष राशि बची हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012-13 में परिपक्व लाभुक जो द्वितीय किस्त का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हता रखते है उनके लिए विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक सप्ताह प्रखंड स्तरीय शिविरों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गयी थी, बावजूद इसके कई जिलों में अत्यधिक अंत शेष रह गया है, जिसके कारण भारत सरकार के द्वारा केन्द्रांश की राशि की कटौती की संभावना है । अत: आवश्यक है कि उपलब्ध राशि को शीघ्रातिशीघ्र उपयोग कर लिया जाय । इसके लिए निम्न दिशानिर्देश जारी किये जाते है:-

1. गत वित्तीय वर्ष की भांति वर्ष 2013-14 में भी सभी जिलों द्वारा द्वितीय या अग्रेतर किस्त विमुक्ति के लिए प्रखंड स्तरीय साप्ताहिक शिविरों का अभियान जारी रहेगा ताकि पूर्व से जिन परिवारों के घर स्वीकृत कर दिए गए हैं, उनके घर यथाशीघ्र पूर्ण हो जाय ।

2. जिलों को वर्ष 2013-14 का भौतिक लक्ष्य भारत सरकार से सुनिश्चित होने के उपरांत प्रेषित किया जाएगा, लेकिन तब तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रारंभिक अवशेष की राशि का समय पर उपयोग हो जाय, माह अप्रैल एवं मई में द्वितीय किस्त के रूप में वितरण हेतु जो राशि अनुमानित हो, उतनी राशि द्वितीय किस्त के लिए तत्काल कर्णांकित कर दी जाय और शेष राशि के विरूद्ध वर्ष 2013-14 के लाभुकों का चयन करके उन्हें प्रथम किस्त की राशि दी जाय। इस हेतु निम्नवत सामान्य निर्देश दिए जाते हैं:-

i) सम्प्रति वर्ष 2013-14 को भौतिक लक्ष्य वर्ष 2012-13 जितनी ही समझी जाय ।

ii) लाभुकों का चयन स्थायी प्रतीक्षा सूची से किया जाएगा ।

iii) कंडिका (2) में उल्लेखित व्यवस्था में अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभुकों की संख्या न्यूनतम 60% होनी चाहिए ।

iv) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक-01.04.2013 से इंदिरा आवास का प्रति इकाई सहायता राशि का दर 70,000 (सत्तर हजार) रूपये एवं राज्य के 11 उग्रवाद प्रभावित जिलें यथा औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, जमुई, रोहतास, नवादा, कैमूर(भभुआ), मुंगेर, सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण के लिए यह राशि 75,000 (पचहत्तर

हजार) रूपये निर्धारित है। उक्त के आलोक में 01.04.2013 से प्रथम किस्त के रूप में तत्काल 30,000 (तीस हजार) रूपये लाभुकों को बैंक खाता के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

v) लाभन्वितों को पासबुक का वितरण दिनांक 11.05.2013 को प्रखण्ड मुख्यालय पर शिविर आयोजित करके किया जायेगा, जिस प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया था ।

vi) सुनिश्चित करें कि उक्त शिविर में कंडिका (2) अनुसार द्वितीय किस्त हेतु आवश्यक राशि रखकर शेष संपूर्ण अवशेष राशि विवरित हो जानी चाहिए, तदनुसार तैयारी की जाय ।

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 145400 पटना, दिनांक 12/04/13

प्रतिलिपि -सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव